ANNEXURE-2

Annexure I

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1825 / VII-1 / 16 / 198–ख / 01
देहरादून : दिनांकः 15 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम बजीना में 4.941 हे० भूमि में खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु श्री दिनेश सिंह परिहार पुत्र श्री शीतल सिंह परिहार, निवासी ग्राम आगर, तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 6.11.2015 के क्रम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार श्री दिनेश सिंह परिहार पुत्र श्री शीतल सिंह परिहार, निवासी ग्राम आगर, तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम बजीना में 4.941 हे० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2016) के प्रावधानानुसार खनिज सोपस्टोन का 25 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु, सहमत हों तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पत्र प्राप्ति के छः माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :–

1. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, यथासंशोधित, 2016 के नियमों / प्रतिबन्धों पर लिखित सहमति पत्र।
2. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर 3(दो)(5) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन योजना संबंधित खान अधिकारी / उप निदेशक (खनन) के समक्ष ₹ 20,000/--की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम् से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–3(ग्यारह) में शासनादेश संख्या–1589 VII–1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, बैक गारन्टी ₹ 1.00 लाख मैनुअल माईनिंग एवं ₹ 2.00 लाख मशीनीकृत माईनिंग हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी ।
4. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–7 के अनुसार पट्टाधारक को खनन पट्टे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या–1621 / VII–1 / 212–ख / 2014 दिनांक 17 दिसम्बर 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–8 के अनुसार आवेदक को प्रतिभूति धनराशि ₹ 10,000/– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक करना होगा।
6. आवेदक को खनन पट्टे का टिन नम्बर देना अनिवार्य होगा।
7. राजस्व विभाग द्वारा निजी भूमि धारकों की सूची खसरा विवरण सहित साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी ए–4 साईज में निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसको खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित किया जाना होगा।
8. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.010 हे0 में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
9. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के पत्र संख्या–1883 / 9–2 दिनांक 11.12.2015 के अनुसार प्रश्नगत भूमि में उपलब्ध विभिन्न प्रजाति व व्यास के 18 वृक्षों की सुराक्षा का दायित्व आवेदक को होगा। वृक्षों की सुरक्षा वन विभाग द्वारा निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से किया

ATTESTED

2–

(P.M. JAIN)
RQP/DDN/02/2016

जायेगा। सीमाबन्धन के समय यदि कोई क्षेत्र का कोई भाग आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे पृथक कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह आवेदक को मान्य होगा।

11. आवेदक को आवेदित क्षेत्रान्तर्गत, जिन खातेदार की अनापत्ति प्राप्त नहीं हुयी है, के भू–भाग में, वास्तविक कास्तकार के द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत न किये जाने तक, आवेदक द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
12. आवेदक को खनन एवं राजकीय बकाया न होने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन अदेयता प्रमाण–पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आयकर देय नही हो तो इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित दिनांक 19.11.2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

15/12/16

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः 1825 (1)/VII-1/198–ख/01 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–951/मु०ख०/48/बागे०/भू०खनि०ई०/2008–09 दिनांक 10 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ कि उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित दिनांक 19.11.2016 के प्रावधानानुसार खनन पट्टा हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–
   - (क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन प्रत्येक दशा में इस आदेश की दिनांक से 60 दिवस में करा लिया जाय ताकि समयान्तर्गत पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख का निष्पादन कराया जा सके।
   - (ख) खनन पट्टा क्षेत्र के सीमाबन्धन की सूचना मय सीमाबन्धन रिपोर्ट, मानचित्र आदि के सीमाबन्धन पूर्ण किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में शासन को प्रेषित कर दी जावे।
   - (ग) सीमाबन्धन रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाये कि खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि के अलावा कोई अन्य वन भूमि खनन पट्टा हेतु सीमाबन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है तथा सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है।
3. श्री दिनेश सिंह परिहार पुत्र श्री शीतल सिंह परिहार, निवासी ग्राम आगर, तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

ATTESTED
(P.M. JAIN)
RQP/DDN/02/2016